

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर

क्रमांक :: एफ 1-10/2022/18
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/09/2023

संचालक

जनसंपर्क विभाग

संचालनालय इंद्रावती भवन

नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर

विषय:- ग्राम पंचायत देवभोग, जिला-गरियाबंद को नगर पंचायत बनाये जाने बाबत।

—00—

छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 में वर्णित प्रावधानों के तहत नगर पंचायत देवभोग, जिला-गरियाबंद के गठन हेतु विभाग की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 05.09.2023 की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति एक हिन्दी के स्थानीय समाचार पत्र में अनिर्वायतः अधिसूचना प्रकाशित कर प्रकाशन की प्रति विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- अधिसूचना की हार्ड कापी/साफ्ट कापी

(पी.एस.धुव)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /09/2023

पृष्ठां.क्रमांक एफ 1-10/2022/18

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
2. कलेक्टर, जिला-गरियाबंद (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर जनसंपर्क विभाग के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक ०९/०९/२०२३
क्रमांक एफ १-१०/२०२२/१८:: छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा ५ में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम पंचायतों को सम्मिलित करते हुए नगर पंचायत देवभोग, जिला-गरियाबंद गठित करने का अभिप्राय प्रकट करता है:-

अनुसूची -१

नगर पंचायत देवभोग में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्रमांक | ग्राम पंचायत का नाम | जनसंख्या वर्ष २०११ |
|---------|---------------------|--------------------|
| १ | देवभोग | ४१५७ |
| २ | झाराबहाल | ७६५ |
| ३ | सोनामुंदी | ३६५ |

अनुसूची -२

नगर पंचायत देवभोग की सीमाएं निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

ग्राम पंचायत देवभोग, झाराबहाल एवं सोनामुंदी की सीमाएं ही नगर पंचायत देवभोग की सीमाएं होंगी।

उपरोक्त आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से २१ दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति/सुझाव कलेक्टर-गरियाबंद को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय हेतु कार्यालयीन दिवस एवं समय पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पी.एस. धुव)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक ०५/०९/२०२३

क्रमांक एफ १-१०/२०२२/१८:: भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४८ के खण्ड (३) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ १-१०/२०२२/१८ दिनांक ०५.०९.२०२३ का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(पी.एस. ध्रुव)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

Government of Chhattisgarh
Urban Administration & Development Department
Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur
Atal nagar

-:: NOTIFICATION ::-

Atal Nagar Raipur, Dated 05/09/2023

No. F 1-10/2022/18:: In exercise of powers conferred by section 5 of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby, intend to constitute Nagar Panchayat Devbhog in District-Gariyaband including following Gram Panchayat as per Schedule given below :-

Schedule-1

The particulars of areas of Gram panchayat to be included in limits of Nagar Panchayat Devbhog is as under :-

| S.No. | Name of Gram panchayat | population year 2011 |
|-------|------------------------|----------------------|
| 1 | Devbhog | 4157 |
| 2 | Jharabahal | 765 |
| 3 | Sonamundi | 365 |

Schedule-2

The boundaries of the proposed Nagar Panchayat Devbhog is as under :-

The Boundaries of the Nagar Panchayat Devbhog shall be the boundaries of existing Gram Panchayat Devbhog, Jharabahal and Sonamundi.

Any person or any local authority may submit his objection/Suggestion in writing to the Collector, District- Gariyaband on any official day and time within 21 days from the date of Publication in "Chhattisgarh Rajpatra" for the consideration of State Government.

By order and in the name of the
Governor of Chhattisgarh,

(P.S. Dhruv)

Joint Secretary

Government of Chhattisgarh
Urban Administration & Development
Department